

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3195

06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

निजी स्वामित्व वाली भूमि पर गैर-दस्तावेजी बस्तियां

†3195. डॉ. सी. एन. मंजूनाथ:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण दशकों से गांव की सीमाओं (ग्राम थाना) से सटी निजी स्वामित्व वाली भूमि पर कई गैर-दस्तावेजी बस्तियां बन गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवारों ने निजीतौर पर खरीदे गए भूखंडों पर मकान बनाए हैं लेकिन वे ग्राम पंचायतों से स्वामित्व दस्तावेज या मान्यता प्राप्त करने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दिनांक 08.11.2022 के सरकारी परिपत्र संख्या 08 सीसीआरवी 2022 के अनुसरण में ऐसी समीपता वाली भूमि को आवासीय उपयोग के लिए परिवर्तित माना जाने और नियमितीकरण के लाभ देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों को इन भवनों को नियमित संपत्ति के रूप में मानने और कर निर्धारण प्रयोजनार्थ प्रपत्र 11 (क) जारी करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन निवासियों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने और निजी साहूकारों द्वारा शोषण से बचाने के लिए वैध स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ड): संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II- राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के अनुसार, "भूमि, अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भू-धारण प्रणालियों, जिनमें भू-स्वामी एवं किरायेदार के मध्य संबंध तथा किराये की वसूली; कृषि भूमि का अंतरण एवं अन्य संक्रामण; भूमि सुधार एवं कृषि ऋण; तथा कोलोनीकरण" राज्य का विषय है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त सूची की प्रविष्टि 35 के अनुसार, "राज्य में निहित अथवा राज्य के कब्जे में स्थित निर्माण कार्य, भूमि और भवन" संबंधित राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। तदनुसार, भूमि प्रशासन, भूमि अभिलेखों का रखरखाव, भूमि उपयोग परिवर्तन, संपत्तियों का नियमितीकरण और ग्राम पंचायतों द्वारा संपत्ति कर की वसूली राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के मामले हैं और इन पर संबंधित राज्य अधिनियमों, नियमों और नीतियों के प्रावधान लागू होते हैं।

अधिसूचित ग्राम बसावटों (आबादी) से सटे ऐसे आवासीय क्षेत्रों के संबंध में, जो समय के साथ जनसंख्या वृद्धि एवं बदलते बसावट प्रतिरूपों के कारण विकसित हुए हैं, यह उल्लेख किया जाता है कि ऐसे आवासीय क्षेत्रों की पहचान, मान्यता तथा, जहां कहीं भी अनुमेय हो, उनका नियमितीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू राज्य कानूनों एवं नीतियों के अनुसार किया जाता है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों को ऐसी भूमि पर स्थित भवनों को नियमित संपत्ति मानने या प्ररूप 11 (क) सहित किसी राज्य-विशिष्ट संपत्ति कर निर्धारण प्ररूप को जारी करने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे विषय संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण संपत्ति अभिलेखों को सुदृढ़ बनाने में निरंतर सहयोग प्रदान कर रहा है, जिससे मान्यता प्राप्त संपत्ति मालिकों को प्रलेखित संपत्ति अधिकार प्राप्त करने, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने, संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने और बेहतर ग्रामीण शासन को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। ऐसे लाभों का अतिरिक्त आवासीय क्षेत्रों अथवा भूमि की अन्य श्रेणियों तक विस्तार संबंधित राज्य कानूनों एवं नीतियों के प्रावधानों के अधीन होगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के समन्वय से संकलित आंकड़ों के अनुसार, स्वामित्व संपत्ति कार्डों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करते हुए लगभग 11,000 ऋण, जिनकी कुल राशि 1,713 करोड़ रु. है, स्वीकृत किए गए हैं।
